2025:CGHC:6904

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 148/2025

शिवदयाल सिन्हा पिता रमा सिन्हा, आयु लगभग 44 वर्ष, निवासी– ग्राम ऊपरपारा, थाना राखी, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़)

... अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना राखी, जिला–रायपुर(छत्तीसगढ़)

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	: श्री बिष्णु मुनि, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	: श्री करण कुमार बहरानी, पैनल अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार वर्मा)

बोर्ड पर निर्णय

06/02/2025

पक्षकारों की सम्मति से प्रकरण की अंतिम सुनवाई की जाती है।

यह अपील, रायपुर के नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 38/2024 में दिनांक 28.11.2024 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थी को उपरोक्त अपील में अपराध कारित करने हेतु दोषसिद्ध किया गया है तथा निम्नानुसार दण्डित किया है:

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भा.द.सं. की धारा 307 के अधीन	सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास
भा.द.सं. की धारा 323 के अधीन	छः माह का कठोर कारावास एवं 500/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 15 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास
भा.द.सं. की धारा 323 के अधीन	तीन माह का कठोर कारावास एवं 500/– का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में 15 दिवस का अतिरिक्त कठोर कारावास

समस्त दण्डादेशों को साथ–साथ चलाए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

2. अभियोजन की कहानी, जैसा कि प्रकरण के अभिलेखों और आक्षेपित निर्णय से ज्ञात हुआ है, यह है कि घटना की तारीख अर्थात् 13.11.2023 को शाम लगभग 5.00 बजे, अपीलार्थी ने सुशीला धीवर, रेशम धीवर और अमित धीवर को गालियां दीं और गंभीर चोटें पहुंचाईं। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी शिकायतकर्ता अमित धीवर की दुकान पर आया और गालियां दे रहा था और जब उसने उसे गालियां न देने के लिए कहा, तो उसने हाथ और मुक्कों से हमला किया, जिसमें उसके भाई रेशम धीवर ने हस्तक्षेप किया और अपीलार्थी ने उस पर खिड़की के तख्ते से भी हमला किया। इसके बाद उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अपने घर गया और एक फावड़ा लाया और रेशम धीवर का पीछा किया, जिसमें उसकी मां सुशीला धीवर ने हस्तक्षेप किया और उसने उस पर फावड़ा से हमला किया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद अपीलार्थी के पुत्र ने शिकायतकर्ता के भाई का पीछा किया और उस पर डण्डे से हमला किया, जबकि अपीलार्थी ने फावड़ा से हमला किया। आहतों का उपचार सद्भावना अस्पताल, नया रायपुर में किया गया। शिकायतकर्ता अमित धीवर द्वारा पुलिस थाना राखी, जिला रायपुर में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अपीलार्थी और उसके पुत्र जो घटना के समय किशोर था, के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 307, 34 के अधीन अपराध दर्ज किया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी–1 दर्ज की गई। आहतों की प्र.पी–9 और पी–10 के अधीन चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और रिपोर्ट शासकीय अस्पताल राखी को भेजी गई और एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी–11 और 12 में है। अन्वेषण के दौरान प्र.पी–2 के अधीन घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी के मेमोरेंडम के आधार पर उसके घर से लोहे का फावड़ा प्र.पी–8 के अधीन जब्त किया गया तथा गिरफ्तारी मेमो प्र.पी–5 तैयार किया गया, जिसकी सूचना प्र.पी–16= 5 के अधीन परिजनों को देने के उपरांत उसे गिरफ्तार किया गया। आहत सुशीला धीवर के रक्त रंजित वस्त्र प्र.पी–4 के अधीन जब्त किए गए। जब्त सामान प्र.पी–19 के अधीन न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया तथा न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्र.पी–20 है। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के न्यायालय में अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया एवं तत्पश्चात प्रकरण सत्र न्यायाधीश रायपुर को उपार्पित किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अपीलार्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294, 323, 307, 34 के अधीन अपराध कारित करने का आरोप विरचित किया गया था। अपीलार्थी ने आरोपों को अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

4.अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में 7 साक्षियों का परीक्षण कराया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का परीक्षण कराया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध विरचित आरोपों को अस्वीकार किया और स्वयं को निर्दोष एवं प्रकरण में झूठे फँसाए जाने का अभिवाक किया।

5. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना करने के उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सिद्धदोष व दण्डित किया, जैसा कि उपरोक्त आक्षेपित निर्णय में उल्लेख किया गया है। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय की सत्यता और वैधता को प्रश्नगत करते हुए तर्क किया कि अभियोजन का पूरा प्रकरण विधि और अभिलेखों में प्रस्तुत तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने केवल उपधारणा और अनुमान के आधार पर अपीलार्थी को सिद्धदोष करने में त्रुटि की है। अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है और किसी अभियोजन साक्षी ने अभियोजन द्वारा लगाए आरोप के अनुसार प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। उनका तर्क है कि यदि अभियोजन के प्रकरण को वैसे ही लिया जाए जैसा वह है, तो भी आहत व्यक्ति के शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई है। उनका तर्क है कि अभियोजन अपने प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है और इसलिए दोषसिद्धि एवं दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाए। उनका तर्क है कि साक्षियों के कथनों में तात्विक लोप और विरोधाभास हैं। अंत में, उनका तर्क है कि अभियुक्त/अपीलार्थी अपनी गिरफ्तारी की तारीख से ही जेल में है और झगड़ा अचानक हुआ था और अचानक आवेश में आकर यह घटना घटी और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है,अतः उसके द्वारा जेल में पूर्व भुगती गई अवधि तक उसे दण्डित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की पुष्टि का समर्थन किया एवं तर्क किया कि अभियोजन का प्रकरण चक्षुदर्शी साक्षी के कथन पर आधारित है और उन्होंने घटना के बारे में बताया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे अपीलार्थी को प्रकरण में झूठा फँसाए।

8. पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों का परिशीलन किया।

9. शिकायतकर्ता के भाई अमित धीवर (अ.सा.–1) ने बताया कि घटना दिनांक 13.11.2023 को शाम करीब 5 बजे अपीलार्थी उसकी दुकान पर आया और कुछ गाली–गलौज करने लगा, जिस पर उसने उसे एक तरफ हटने और उसकी दुकान के सामने थूकने से मना किया। इस पर अपीलार्थी ने उसे गंदी–गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और जब उसके भाई ने उससे पूछा कि वह गालियां क्यों दे रहा है, तो उसने वहां पड़ी खिड़की की तख्ता उठाकर उसपर और उसके भाई पर हमला कर दिया और घर चला गया। थोड़ी देर बाद वह फिर से जान से मारने की नीयत से फावड़ा लेकर आया। जब शिकायतकर्ता की माँ ने

घटना देखी, तो उसने बीच–बचाव करने का प्रयत्न किया और अपीलार्थी ने उस पर फावड़ा से हमला कर दिया जिससे उसके सिर पर चोट लग गई और वह बेहोश हो गई। उसने उससे फावड़ा छीनने का प्रयत्न किया, परंतु उसका पुत्र गणेश वहां आया और उसके सिर पर डण्डे से हमला कर दिया। तत्पश्चात उन्हें नया रायपुर के सद्भावना अस्पताल ले जाया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। इसी प्रकार का कथन शिकायतकर्ता के भाई रेशम धीवर (अ.सा.–2) और शिकायतकर्ता की माँ सुशीला धीवर (अ.सा.–3), ग्रामीण हरभूषण पटेल (अ.सा.–4) ने भी किया है।

10. डॉ. अंकुर गुप्ता (अ.सा.–5) ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जिन्होंने शिकायतकर्ता आहत अमित धीवर की चिकित्सकीय परीक्षण किया है। उन्होंने प्र.पी.–10 द्वारा आहत सुशीला धीवर का भी परीक्षण किया है और प्र.पी.–9 द्वारा रिपोर्ट दी है और सद्भावना अस्पताल में डॉ. शिवानी (प्लास्टिक सर्जन) द्वारा सर्जरी की गई है। बेड हेड टिकट प्र.पी.–13 में उल्लेख किया गया है कि उनकी नाक पर चोट लगी है, अर्थात् कट का निशान है और नाक की हड्डी टूट गई थी और दाईं आंख भी चोटिल थी। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि सुशीला धीवर को गंभीर चोट पहुंचाई गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. साक्षियों के उपरोक्त कथनों का सूक्ष्मतापूर्वक जांच करने पर यह देखा जा सकता है कि साक्षियों के कथनों में लघु लोप और विरोधाभास हैं। निःसंदेह, बार–बार या गंभीर हमला किए जाने का कोई आरोप नहीं है। यहां तक कि शिकायतकर्ता अमित धीवर और उनकी माँ सुशीला धीवर को लगी चोटें भी गंभीर प्रकृति की पाई गई हैं। धारा 307, जिसमें अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान है, ऐसे कृत्य के अनुपालन में हुई चोट को संदर्भित करती है? दंड संहिता की धारा 307 की व्याख्या **महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध बलराम बामा पाटिल [(1983) 2 एससीसी 28]** के प्रकरण में की गई है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त शारीरिक उपहति पहुंचाई गई हो:

> "9...इस धारा के अधीन दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि शारीरिक उपहति पहुँचाई गई हो जिससे मृत्यु हो सकती हो। यद्यपि वास्तव में पहुँचाई गई उपहति की प्रकृति प्रायः अभियुक्त के आशय के बारे में निष्कर्ष निकालने में काफी सहायता कर सकती है, परंतु इस तरह के आशय को अन्य परिस्थितियों से भी निकाला जा सकता है और कुछ प्रकरणों में वास्तविक घावों के संदर्भ के बिना भी इसका पता लगाया जा सकता है। यह धारा अभियुक्त के कृत्य और उसके परिणाम, यदि कोई हो, के मध्य अंतर करती है। जहाँ तक हमला किए गए व्यक्ति व्यक्ति का संबंध है, ऐसे कृत्य का कोई परिणाम नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी ऐसे प्रकरण हो सकते हैं जिनमें अपराधी इस धारा के अधीन उत्तरदायी

होगा। यह आवश्यक नहीं है कि हमले के शिकार व्यक्ति को वास्तव में पहुँचाई गई उपहति सामान्य परिस्थितियों में हमला किए गए व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो। न्यायालय को यह देखना होगा कि परिणाम चाहे जो भी हो, क्या वह कृत्य आशय या ज्ञान होते हुए और इस धारा में वर्णित परिस्थितियों के अधीन किया गया था। अपराधी बनने के लिए प्रयास का उपान्तिम कार्य होना आवश्यक नहीं है, विधि में यह पर्याप्त है, यदि इसके निष्पादन में कोई स्पष्ट कृत्य के साथ कोई आशय जुड़ा है।"

12. जहां तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन अपराध का संबंध है, यह तर्क किया गया है कि स्वेच्छा से उपहति कारित करने का अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 321 के अधीन परिभाषित और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध संबंधित है, यह तर्क किया गया है कि अ.सा.–1 और अ.सा.–2 को लगी चोटें प्रकृति में साधारण थीं जबकि सुशीला धीवर (अ.सा.–3) को लगी चोटें प्रकृति में साधारण थीं। यह तर्क किया है कि इस प्रकार चोटों की प्रकृति पर विचार करते हुए, अपीलार्थी ने अमित धीवर और रेशम धीवर को स्वेच्छा से उपहति कारित है और इसलिए, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 बनती है। अपीलार्थी ने सुशीला धीवर को नाक से लेकर दाहिनी आंख तक स्वेच्छा से घोर उपहति पहुँचाई थी और उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी और दाहिनी आंख को भी क्षति हुई थी और इस प्रकार, अपीलार्थी ने हत्या का प्रयत्न किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. विचारण न्यायालय का निष्कर्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के उचित विवेचना पर आधारित हैं, इसलिए अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 323, 323 के अधीन दोषसिद्धि के निष्कर्षों को यथावत रखा गया है और इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय के दोषसिद्धि वाले भाग को यथावत रखा जाता है।

14. आक्षेपित निर्णय के दण्डादेश वाले भाग के संबंध में, चूंकि घटना अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के मध्य अचानक जनित आवेश के कारण हुई थी और अतः इस न्यायालय का यह अभिमत है कि यदि उदार दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो अभियुक्त/अपीलार्थी को सारभूत अनुतोष मिलेगी। तदनुसार, अभियुक्त/अपीलार्थी को दी गई सजा 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की जाती है।

15. फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय यथावत रखा जाता है। तथापि, अपीलार्थी पर अधिरोपित कारावास के दण्ड को 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया

जाता है। चूंकि वह पहले से ही जेल में निरुद्ध है, अतः अभियुक्त/अपीलार्थी की गिरफ्तारी आदि के संबंध में कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है।

सही/–

(अरविंद कुमार वर्मा)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur